न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-20RAAJodhpur2022-12RTA225 Narayangiri Vs Prabhugiri etc

नारायणगिरि पुत्र भजनगिरि, जाति गोस्वामी,
निवासी- शेरगढ, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. प्रभुगिरि पुत्र श्री भजनगिरि
02. मीना पुत्री प्रभुगिरि
    जातियान् गोस्वामी, निवासीगण- शेरगढ, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 30 दिसंबर 2021 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 33/2021प्रभूगिरि बनाम नाराणगिरि इत्यादि

उपस्थित-
श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 03

नि र्ण य

दिनांक : 12 नवंबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 33/2021 अनवान प्रभूगिरि बनाम नारायणगिरि इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 30 दिसंबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 17 जनवरी 2022 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1262 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नं. 1263 रकबा 123 बीघा 14 बिस्वा ग्राम शेरगढ के संबंध में धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा काउंटर क्लेम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर दावे के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 दिसंबर 2021 जरिये प्रार्थना पत्र अन्तरिम रूप से स्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की सहखातेदारी की भूमि है। एक रेकर्डेड खातेदार को कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में हर इंच पर हर पक्षकार का कब्जा एवं काश्त होता है। इस कानूनी बिंदु पर गौर किये बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा आदेश पारित करने में कानूनी भूल की गई है। वादग्रस्त आराजी में अपीलांट ने अपने हिस्से की भूमि पर सिंचाई के लिए ट्यूबवेल किया है, जिसका कनेक्शन आ चुका है। रेस्पोडेंट द्वारा उक्त कनेक्शन को रुकवाने के उद्धेश्य से एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त किया है जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 दिसंबर 2021 को निरस्त किया जावे

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1262 एवं 1263 उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमें अपीलांट 1/2 हिस्से का रेकर्डेड सहखातेदार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश के जरिये वादग्रस्त भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय में मात्र बंटवाड़े का दावा विचाराधीन है। अपीलाधीन अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रभाव से पक्षकारान् के कृषि विकास कार्य हेतु केसीसी इत्यादि की कार्यवाही को रोका जाना न्यायोचित नहीं है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलाण्ट के पक्ष में प्रतीत होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में मामला उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत अंतिम निस्तारण हेतु पुनः विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 33/2021 अनवान प्रभूगिरि बनाम नारायणगिरि इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 30 दिसंबर 2021 को निरस्त किया जाकर मामला विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 01 माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर